

## प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- मा0मु0घो0 सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।  
(लम्बाई 4.00 किमी०)


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम

### तहसील भनोली जिला-अल्मोड़ा अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा0मु0घो0 सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण (लम्बाई 4.00 किमी०) के निर्माण हेतु ~~वन~~ भूमि 1-4/175 है० वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैलपड़ द्वारा दिनांक 09-08-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैलपड़ (क्वैराली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
ग्राम पंचायत  
ग्राम पंचायत.....  
दि० ०८-०८-२०१५ (अल्मोड़ा)

  
ग्राम पंचायत नैलपड़,  
बिकास कण्ड-धौलादेवी,  
जिला-अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान 09-08-2015

प्रपत्र-30.4

दिनांक 09-08-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री नन्ददास लाल शर्मा S/O जीवा नन्द शर्मा	नन्ददास लाल शर्मा
2.	श्री विनोद चन्द	विनोद चन्द
3.	श्री गोविन्द लाल शर्मा S/O कुलाराम	गोविन्द लाल शर्मा
4.	श्री रमेश चन्द शर्मा S/O अम्बादत्त शर्मा	रमेश चन्द
5.	श्री आनन्द लाल शर्मा S/O मनोरथ शर्मा	आनन्द लाल शर्मा
6.	श्री चण्डसिंह शर्मा S/O विमोक्ति	चण्डसिंह
7.	श्री कमलापति शर्मा S/O हरकिशोर शर्मा	कमलापति
8.	श्री पूरन सिंह S/O प्रताप सिंह	पूरन सिंह
9.	श्री रघुवर शर्मा S/O जीवा नन्द शर्मा	रघुवर
10.	श्री गोपाल दत्त शर्मा S/O नन्ददास लाल शर्मा	गोपाल दत्त शर्मा
11.	श्री लक्ष्मीदत्त शर्मा S/O अम्बादत्त शर्मा	लक्ष्मीदत्त शर्मा

ग्राम पंचायत नैलपड़,  
बिकास खण्ड-धोलादेवी,  
जिला-बलमोड़ा

ग्राम प्रधान 09-08-2015

  
ग्राम पंचायत नैलपड़  
बिकास खण्ड-धोलादेवी (बलमोड़ा)

## प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- मा0मु0घो0सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग का निर्माण।  
(वास्तविक लम्बाई 1.825 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, बनोली

उपखण्ड बनोली परिक्षेत्र के मा0मु0घो0 सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग (वा० लम्बाई० 1.825 किमी०) के निर्माण हेतु 1.4175 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बनोली) की दिनांक ०३-१०-२०१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्पाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार चन्पाल, उपजिलाधिकारी, बनोली, अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- श्री किशन सिंह जड़ौत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ~~धौलदेवी~~, सदस्य/सचिव
- 4- श्री दीपा देवी..... बी०डी०सी० क्षेत्र ~~नैलपट्ट~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0घो0 सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग (वा० लम्बाई० 1.825 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग (लम्बाई0 4.00 किमी0) के निर्माण हेतु 0.980 है. भूमि, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-मनोली, जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-मनोली, जनपद अल्मोड़ा

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated...27-10-2016.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.4175 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction of Motor road from Naini to Quarali (Length 1.825 km.) (Under Mukhayamantri Ghosna No. 811/2014) in Almora district falls within jurisdiction of Nailpad Village (s) in Bhenoli tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 1.4175 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Savin Bansal  
District Collector, Almora

प्रति  
विद्या प्रसाद कल्याण अधिकारी  
आमोरा

**FORM-II**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated...23-10-2011.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 1.4175 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Motor road from Naini to Quarali (Length 1.825 km.) (Under Mukhayamantri Ghosna No. 811/2014) in almora district falls within jurisdiction of Nailpad Village (s) in Bhandi tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 1.4175 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure .....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Nailpad** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

**Encl: As above**

*FWS*  
 विद्या सदान कल्याण प्रवर्धकरी  
 जिला प्रशासन  
 अल्मोड़ा

*Savin Bansal*  
 Savin Bansal  
 District Collector, Almora

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT ALMORA (U.K)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 23.10.2016..at time 2:15 P.m.at Almora in which application claiming rights of Nailpad area measuring 1.4175 hec. for the **Construction of Motor road from Naini to Quarali (Length 1.825 km.) in Almora (Under Mukhayamantri Ghosna No. 811/2014)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhanoli** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

8/16 23/10  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

DATE:

*Savin Bansal*  
विधि प्रमाण कक्षाप अधिकारी  
जिला प्रशासन, अमरा